

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्गा/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 419]

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 3 सितम्बर 2020 — भाद्रपद 12, शक 1942

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 3 सितम्बर 2020

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-29/2008/25-1. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ जनजाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण अधीनस्थ शैक्षणिक सेवा संवर्ग (तृतीय श्रेणी अलिपिक वर्गीय) सेवा नियम, 2011 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची में, -

1. अनुसूची-एक के सरल क्रमांक 1 के कॉलम (3) में, अंक “26” के स्थान पर, अंक “76” प्रतिस्थापित किया जाये.
2. अनुसूची-एक के सरल क्रमांक 7 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“7 (क)	सहायक कोच क्रीड़ा परिसर	95	अलिपिक वर्गीय	35,000-1,12,400 वेतन मैट्रिक्स लेवल-8	आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग”

3. अनुसूची-दो के सरल क्रमांक 1 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“1	कोच क्रीड़ा परिसर	76	50%	50%”	

4. अनुसूची-दो के सरल क्रमांक 7 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"7 (क)	सहायक कोच क्रीड़ा परिसर	95	100%	-	पूर्व से पदस्थ व्यायाम शिक्षक, सहायक कोच के समकक्ष माने जायेंगे."

5. अनुसूची-तीन के सरल क्रमांक 1 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
"1 (क)	कोच क्रीड़ा परिसर	21	35	1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शारीरिक शिक्षा में कम से कम 50% प्राप्तांक के साथ स्नातक उपाधि (बी.पी.एड./बी.पी.ई.) 2. संबंधित विद्या (खेल) में भारतीय खेल प्राधिकरण से एन.आई.एस. डिप्लोमा होना चाहिये.	1. आयुक्त/संचालक - अध्यक्ष. 2. अपर संचालक (प्रशासन) - सदस्य. 3. उपायुक्त (खेल) - सदस्य. 4. उपायुक्त (स्थापना) - सदस्य-सचिव."	

6. अनुसूची-तीन के सरल क्रमांक 5 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
"5 (क)	सहायक कोच क्रीड़ा परिसर	21	35	1. किसी मान्यता प्राप्त मण्डल या इसके समकक्ष हायर सेकेण्डरी स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये. 2. संबंधित विद्या (खेल) में भारतीय खेल प्राधिकरण से एन.आई.एस. डिप्लोमा होना चाहिये.	1. आयुक्त/संचालक - अध्यक्ष. 2. अपर संचालक (प्रशासन) - सदस्य. 3. उपायुक्त (खेल) - सदस्य. 4. उपायुक्त (स्थापना) - सदस्य-सचिव."	

7. अनुसूची-चार के सरल क्रमांक 1 के कॉलम (2) में, शब्द "व्यायाम शिक्षक जिन्होंने एन.आई.एस. या एम.पी.एड. डिप्लोमा उत्तीर्ण की हो" के स्थान पर, शब्द "सहायक कोच/व्यायाम शिक्षक, जिन्होंने एम.पी.एड. या एन.आई.एस. उत्तीर्ण किया हो" प्रतिस्थापित किया जाये.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एम. मिंज, अपर सचिव.

अटल नगर, दिनांक 3 सितम्बर 2020

क्रमांक एफ 1-29/2008/25-1.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-29/2008/25-1, दिनांक 03-09-2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एम. मिंज, अपर सचिव.

Atal Nagar, the 3rd September 2020

NOTIFICATION

No. F 1-29/2008/25-1. — In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Tribal and Scheduled Castes Welfare Sub-ordinate Educational Service-Cadre (Class-III-Non-Ministerial) Service Rules, 2011, namely :-

AMENDMENT

In Schedule of the said rules,-

1. In column 3 of serial number 1 of Schedule-I, for the figure "26", the figure "76" shall be substituted.
2. After Serial number 7 of Schedule-I and entries relating thereto, the following shall be added, namely :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"7 (a)	Assistant Coach Sports Complex	95	Non-Ministerial	35,000-1,12,400 Pay Matrix Level-8	Commissioner, Tribal and Scheduled Castes Welfare Department."

3. For Serial number 1 of Schedule-II and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"1	Coach Sports Campus	76	50%	50%"	

4. After Serial number 7 of Schedule-II and entries relating thereto, the following shall be added, namely :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"7 (a)	Assistant Coach Sports Complex	95	100%	-	PTIs already posted shall be treated equivalent to Assistant Coach."

5. After Serial number 1 of Schedule-III and entries relating thereto, the following shall be added, namely :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
"1 (a)	Coach Sports Complex	21	35	1. Graduation degree in Physical Education from any recognized University with atleast 50% marks (B.P.Ed./B.P.E.) 2. Should have N.I.S. Diploma in concerned discipline (Sport) from Sports Authority of India.	1. Commissioner/Director-Chairman 2. Additional Director (Administration)-Member 3. Deputy Commissioner (Sports)-Member 4. Deputy Commissioner (Establishment)-Member-Secretary"	

6. After Serial number 5 of Schedule-III and entries relating thereto, the following shall be added, namely :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
"5 (a)	Assistant Coach Sports Complex	21	35	1. Should have passed Higher Secondary School Examination from any recognized Board or equivalent. 2. Should have N.I.S. Diploma in concerned discipline (Sport) from Sports Authority of India.	1. Commissioner/Director-Chairman 2. Additional Director (Administration)-Member 3. Deputy Commissioner (Sports)-Member 4. Deputy Commissioner (Establishment)-Member-Secretary"	

7. In column (2) of Serial number 1 of Schedule-IV, for the words "Physical Training Teacher who has passed diploma course in NIS or M.P.Ed", the words "Assistant Coach/Physical Exercise Teacher who has passed M.P.Ed. or N.I.S. diploma" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
M. M. MINJ, Upper Secretary.